

## कार्यालय: जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान-बाद, मथुरा

पत्रांक:- डायट/बी.टी.सी.-2015/1168-69/2016-17

दिनांक: 07.08.2016

### विज्ञप्ति

बी.टी.सी. प्रशिक्षण-2015 हेतु निर्गत शासनादेश संख्या:-426/15-11-2016-2067/2013 शिक्षा अनुभाग-11 लखनऊ, दिनांक: 14 जून, 2016 एवं सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ.प्र. इलाहाबाद के पत्रांक: गोप./बी.टी.सी.-2015/8284-8358/2016-17 दिनांक: 06.08.2016 के अनुपालन में बी.टी.सी. प्रशिक्षण-2015 की चयन/प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत ऑन लाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की वर्गवार/श्रेणीवार शैक्षिक गुणांक के अवरोही क्रम में मथुरा जनपद के डायट/निजी संस्थानों में आवंटित सीटों के सापेक्ष वर्गवार/श्रेणीवार तीस गुना (विशेष आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये पचास गुना) प्रथम औपबन्धिक कट ऑफ मेरिट निर्गत कर दी गयी है। उक्त से सम्बन्धित कट ऑफ मेरिट विवरण, शपथ पत्र का प्रारूप एवं जनपद मथुरा के निजी संस्थानों की सूची जनपद की वेबसाइट- [www.mathura.nic.in](http://www.mathura.nic.in) एवं संस्थान की वेबसाइट [www.dietmathura.com](http://www.dietmathura.com) पर भी देख सकते हैं। वर्गवार/श्रेणीवार शैक्षिक गुणांक के अवरोही क्रम में औपबन्धिक सूची एवं अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ.प्र. इलाहाबाद की वेबसाइट- <http://www.examregulatoryauthorityup.in> पर अवलोकित की जा सकती है।

निम्नांकित कट-ऑफ मेरिट के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थी अपने समस्त मूल शैक्षिक अंकपत्र व प्रमाण पत्र/जाति आरक्षण/विशेष आरक्षण/मूल निवास प्रमाण पत्र/आवेदन पत्र में अंकित पहचान पत्र/ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन फार्म/फीस ई-चालान/आवेदन पत्र/संशोधित आवेदन पत्र तथा उनका एक सैट स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति एवं पासपोर्ट साइज के दो नवीनतम फोटोग्राफ, एक फाइल कवर व टैग, 10 (दस) रुपये के स्टाम्प पेपर पर (निर्धारित प्रारूप) शपथ पत्र के साथ संस्थान में निम्नलिखित तिथियों को प्रातः 10 बजे काउन्सलिंग/जांच हेतु उपस्थित हों।

दिनांक: 09.08.2016 को समस्त महिला कला वर्ग/श्रेणी विशेष आरक्षण सहित।

दिनांक: 10.08.2016 को समस्त महिला विज्ञान वर्ग/श्रेणी विशेष आरक्षण सहित।

दिनांक: 11.08.2016 को समस्त पुरुष कला वर्ग/श्रेणी विशेष आरक्षण सहित।

दिनांक: 12.08.2016 को समस्त पुरुष विज्ञान वर्ग/श्रेणी विशेष आरक्षण सहित।

#### प्रथम औपबन्धिक जाँच हेतु कट ऑफ मेरिट विवरण

| श्रेणी                               | महिला  |         | पुरुष  |         |
|--------------------------------------|--------|---------|--------|---------|
|                                      | कला    | विज्ञान | कला    | विज्ञान |
| सामान्य                              | 209.10 | 211.77  | 195.94 | 209.60  |
| अनुसूचित जाति                        | 192.55 | 181.37  | 178.72 | 185.65  |
| अनुसूचित जनजाति                      | 186.47 | 137.68  | 171.84 | 136.13  |
| अन्य पिछड़ा वर्ग                     | 203.24 | 200.05  | 187.50 | 199.12  |
| विशेष आरक्षण                         | महिला  |         | पुरुष  |         |
| विकलांग-दृष्टिबाधित                  | 106.14 |         | 142.76 |         |
| विकलांग-श्रवणहास                     | 131.49 |         | 127.20 |         |
| विकलांग-चलन क्रिया सम्बन्धी निःषक्ता | 180.20 |         | 184.80 |         |
| स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित     | 134.81 |         | 128.32 |         |
| भूतपूर्व सैनिक                       | 142.07 |         | 120.44 |         |

#### नोट:-

- उक्त कट ऑफ मेरिट के अन्तर्गत सम्मिलित अभ्यर्थियों को जांच हेतु उपस्थित होने की सूचना केवल समाचार पत्र के माध्यम से ही दी जा रही है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से सूचना नहीं दी जायेगी। निर्धारित तिथि को उपस्थित न होने की स्थिति में पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा।
- अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गयी प्रविष्टियां ही मान्य होंगी, जिसके सापेक्ष, अभ्यर्थियों को मूल अभिलेख जाँच के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- किसी भी अंकतालिका में प्रासांक/पूर्णांक के स्थान पर ग्रेड प्वाइंट उल्लेख होने की स्थिति में सम्बन्धित कुल सचिव/सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ग्रेड प्वाइंट के समतुल्य प्रासांक प्रतिशत में परिवर्तित करने का सूत्र काउन्सलिंग के समय लाना होगा।
- आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम निर्धारित तिथि के बाद की तिथि का निर्गत कोई भी अंकपत्र, आरक्षण एवं विशेष आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को संस्थान में काउन्सलिंग हेतु स्वयं उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके अभ्यर्थन के प्रति विचार नहीं किया जायेगा और इसके लिये वे स्वयं उत्तरदायी होंगे। उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त मानते हुए वरीयता क्रम में अगले अर्ह अभ्यर्थी के अभ्यर्थन पर विचार किया जायेगा तथा भविष्य में उनके किसी दावे को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- निर्गत की गई सूची/कट ऑफ माननीय उच्च न्यायालय/मा. उच्चतम न्यायालय के आदेशों, विभागीय निर्देशों एवं किसी भी लिपिकीय त्रुटि के संज्ञान के अधीन होगी।
- काउन्सलिंग के उपरांत चयन की सूची जारी की जायेगी और प्रवेश की कार्यवाही निर्गत मेरिट सूची के आधार पर की जायेगी।
- काउन्सलिंग की यह प्रक्रिया प्रवेश की सुनिश्चिता नहीं है। उपलब्ध सीटों के सापेक्ष तीस गुना और विशेष आरक्षण पचास गुना अभ्यर्थी काउन्सलिंग हेतु बुलाये जा रहे हैं।
- काउन्सलिंग हेतु समय प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित है।
- डायट का हैल्पलाइन फोन नं. 0585-2430823 है।

-प्राचार्य

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान  
बाद, मथुरा